तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील-सीमा में दर्ज है। रजिस्ट्री के अभिमत दृष्टव्य। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18/11/2019 को पेश हो।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	
18/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. बहस हेतु समय चाहते हैं। अतः पत्रावली वास्ते बहस दि. 21/11/2019 को पेश हो।	
21/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषकों की प्रकरण में बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 22/11/19 को पेश हो।	
22/11/19	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वक्त बहस प्रस्तुत फार्म नं. 3 के साथ रिमांड पत्रावली पर है। अपीलांट पक्ष द्वारा लिखित बहस भी पेश की। अपीलांट अभिभाषक ने बहस करते हुए अपील में अंकित तथ्य एवं लिखित बहस में प्रस्तुत कथनों को दोहराया। उनका कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. सं. 1 से 7 ने अपनी खातेदारी भूमि मौजा पण्डितजी की ढाणी तह. दौसा के ख.नं. 382, 382/1, 382/2, एवं 382/3 (कुल चार खण्ड) में आवागमन हेतु अपीलांट के खि. ख.नं. 384/1 व 384/2 में से रास्ता चाहा है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी आदेश के जरिये प्रदान किया है जबकि उनके लिए दो वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध हैं। कानून रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में नया रास्ता नहीं दिया जाता है। रेस्पोडेंट की प्रस्तावित भूमि के खण्डों का	
	PTO	

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

Ady
21/11/2019

अपीलाधीन आदेश अव्यावहारिक एवं राजस्व रिकॉर्ड से परे है जिसका अमल दरामद असंभव प्रतीत होता है।

रिकॉर्ड पर उपलब्ध अद्यतन राजस्व नक्शे (P-35 क्रमांक 2811 दि. 14/10/19) के आलोक में प्रकरण का परीक्षण किया गया। इसमें प्रकरण से संबंधित उभय पक्ष के खसरा नंबर अंकित है। ख.नं. 378 और इससे जुड़ा हुआ जॉ० मु० रास्ता भी स्पष्ट रूप से अंकित है। रेस्पोंडेंट द्वारा चाहा गया रास्ता जिन चार खसरा नंबरान के लिए मांगा गया है उनकी सीधी पहुंच उनके संयुक्त खातेदारी के खेत ख.नं. 378 तक है। ख.नं. 382 की ख.नं. 382_1 में से होते, ख.नं. 382_1 व 382_2 की सीधी सीमा मिलने से, ख.नं. 382_1 की ख.नं. 382_2 में से होते हुए ख.नं. 378 तक पहुँच है। रेस्पोंडेंट को अन्य किसी खातेदार के खेत में से रास्ते की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार रेस्पोंडेंट के लिए ख.नं. 378 एवं उससे लगते जॉ. मु० रास्ता तक उनके स्वयं के ही खातेदारी खेतों में से पहुँच है इसलिए उनके आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। इन्हें रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है। उनकी सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का प्रावधान इस निमित्त बने विधिक प्रावधानों में है। अपीलाधीन आदेश से रास्ता देना विधि सम्मत एवं रिकॉर्ड से सुसंगत नहीं होने से इसे खारिज किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज किया जाता है। आदेश करे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश की प्रति के लौटाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

[illegible] 378 तक जाने से आवागमन [illegible] रेस्पोडेण्ट को रास्ते की आवश्यकता नहीं होने से अपीलार्थी आदेश कायम निरस्त है। अपील स्वीकार कर आदेश निरस्त फरमाया जावे क्योंकि खेत ख.नं. 386 का नक्शा ट्रेंच में मौके पर तसदीक नहीं हो सकी है वगैर तसदीक ख.नं. 386/2 में से अपीलान्ट न्यायालय ने आदेश पारित किया है। कराना का रास्ता ख.नं. 378 से लगता है। ख.नं. 378 संयुक्त खातेदारी में इनका पड़ोसी का है।

आखिरमा रेस्पोडेण्ट ने बहस में कथन कर अपीलान्ट न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई जो आदेश पारित कर रास्ता दिया है उसे विशेषमन्त्र के मांग के अनुरूप बताया। उन्होंने मौका रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि ख.नं. 386/2 रकबा 0 बिस्वा में से 12 फीट लम्बा व 13 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाता है जो पहले चलता था और इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अपील अपीलार्थी खारिज की जावे और अपीलार्थी आदेश यथावत रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट न्यायालय की पत्रावली भी देखी गई।

मौका रिपोर्ट दि. 28/9/19 जो भू.अ. निरीक्षक थाने द्वारा तैयार की गई है, में जो नक्शा दर्शाया है वह मात्र नजरी नक्शा है। इसमें प्रकरण से संबंधित खसरों की तरमीम को पृथक-2 नहीं दर्शाया सह खातेदारी भूमि का विवरण दिया है इसलिए नजरी नक्शा राजस्व रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता, इसकी तसदीक ही नहीं करवाई। इसमें ख.नं. 386/1 व 386/2 का हवाला है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड (नक्शे) में तरमीम नहीं है। इस तथ्य पर अपीलान्ट न्यायालय ने भी गौर नहीं किया।

जमाबंदी संवत 2070-2073 मौजा पण्डितजी की ढाणी के खाता सं. 467 अनुसार ख.नं. 378 रकबा 1-06 बीघा उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी भूमि है और इस खसरे तक जै.मु. रास्ता उपलब्ध है, यह स्वीकार्य तथ्य है। रेस्पोडेण्ट ने ख.नं. 378 तक अपीलान्ट के खेत ख.नं. 386/1 व 386/2 में से होते हुए आवागमन हेतु रास्ते की मांग की है परन्तु अपीलान्ट न्यायालय द्वारा केवल ख.नं. 386/2 रकबा 09 बिस्वा में से 02 बिस्वा भूमि में रास्ता प्रदान करते आदेश पारित किया है जो तर्कसंगत नहीं है। ख.नं. 386/1 व 386/2 पृथक-2 रूप से राजस्व नक्शे में अंकित नहीं है इसलिए

P.T.O

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना